

राजस्थान सरकार
कार्मिक (क-1/गोप्र) विभाग

एफ 13(51) कार्मिक / क-1 / गो.प्र. / 08

जयपुर, दिनांक: 19 OCT 2010

परिपत्र

राज्य सेवकों के कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन प्रपत्र के भाग—A के कालम 6 में मुख्य पारिणामिक कार्यों के लिए निर्धारित लक्ष्यों, के अनुसार स्वयं के द्वारा किया गया मूल्यांकन में मुख्य पारिणामिक कार्य निर्धारित लक्ष्य, वास्तविक उपलब्धियां, उपलब्धियों में कमी के कारण (कोई हो तो) एवं विशेष योगदान अंकित करने का प्रावधान किया गया है।

राजस्व से सम्बन्धित प्रकरणों के निस्तारण में तेजी लाने के लिए राज्य के सभी उपखण्ड अधिकारियों, सहायक जिला कलक्टर, अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं राजस्व अपील अधिकारियों के कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन अवधि में राजस्व प्रकरणों का वास्तविक निस्तारण करने का विशेष रूप से उल्लेख किया जाना अनिवार्य है।

अतः राज्य के सभी उपखण्ड अधिकारियों, सहायक जिला कलक्टर, अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं राजस्व अपील अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे अपना कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन की पूर्ति करते समय कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन प्रपत्र के भाग—A के कालम 6(1) में प्रमुख विभागीय कार्यों के भौतिक लक्ष्य के साथ बिन्दु संख्या (i) में राजस्व प्रकरणों का निस्तारण (a) बहुपक्षीय (b) एक पक्षीय (c) राजीनामा (d) स्थानान्तरण (e) अन्य के सम्बन्ध में सूचना अनिवार्य रूप से अंकित करेंगे अर्थात् राजस्व प्रकरणों का निर्धारित लक्ष्य, राजस्व प्रकरणों की वास्तविक उपलब्धियों का अनिवार्य रूप से उल्लेख करेंगे। तथा सम्बन्धित प्रतिवेदक/समीक्षक/स्वीकारकर्ता प्राधिकारी के लिए भी यह अनिवार्य होगा कि उक्त अधिकारियों के प्रतिवेदनों में टिप्पणी अंकित करते समय राजस्व प्रकरणों के निस्तारण को ध्यान में रखते हुए ही सम्बन्धित अधिकारी का मूल्यांकन करेंगे। यदि संबंधित प्रतिवेदित अधिकारी अपने कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदनों में राजस्व प्रकरणों का निस्तारण के संबंध में उल्लेख नहीं करेंगे तो यह प्रतिकूल प्रविष्टि का आधार प्रतिवेदक अधिकारी द्वारा माना जावेगा।

प्रमुख शासन सचिवं
19.10.2010

प्रतिलिपि निम्नाकिंत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1.प्रमुख सचिव, राज्यपाल ।
- 2.प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री ।
- 3.उप शासन सचिव, मुख्य सचिव ।
- 4.समस्त अति. मुख्य सचिव / प्रमुख शासन सचिव / शासन सचिव /
उप शासन सचिव
- 5.समस्त विशिष्ट सहायक/निजी सचिव मंत्री/राज्य मंत्री/संसदीय सचिव
- 6.समस्त संभागीय आयुक्त ।
- 7.समस्त विभागाध्यक्ष (जिला कलक्टरों सहित)
- 8.प्रशासनिक सुधार (कोर्डिफिकेशन) विभाग अनुभाग-7 कापियों सहित ।
- 9.एनालिस्ट-कम-प्रोग्रामर, कार्मिक (कम्प्यूटर) विभाग ।

✓ ७/१०/१०

विशेषाधिकारी

प्रतिलिपि निम्नलिखित को भी प्रेषित है :-

- 1.सचिव, राजस्थान विधान सभा जयपुर ।
- 2.सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर ।
- 3.पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर ।
- 4.अतिरिक्त पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ, जयपुर ।
- 5.सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर ।
- 6.पंजीयक राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय न्यायाधिकरण जयपुर ।
- 7.निबन्धक, राजस्व मण्डल, अजमेर ।
- 8.समस्त राजस्व अपील अधिकारी, अतिरिक्त कलक्टर, उपखण्ड अधिकारी, सहायक
कलक्टर राज.
- 9.रक्षित पत्रावली ।

✓ ७/१०/१०

विशेषाधिकारी

अन्य राज्य सेवा अधिकारियों के लिए : प्रपत्र ॥ (संदर्भ नियम 7)

वार्षिक कार्य मूल्यांकन (वर्ष)

भाग—। (प्रतिवेदित (REPORTEE) अधिकारी के लिए)

सेवा का नाम

1. नाम पुत्र/पुत्री/पति
2. जन्म तिथि गृह जिला
3. समीक्षाधीन अवधि के दौरान पद तथा स्थान
4. प्रतिवेदक अधिकारी के अधीन की गई सेवा अवधि दिनांक से दिनांक तक
5. अवकाश/प्रशिक्षण के दौरान अनुपस्थिति की कालावधि दिनांक से दिनांक तक
6. मुख्य पारिणामिक कार्यों के लिए निर्धारित लक्ष्यों (कृपया विनिर्दिष्ट करें) के अनुसार स्वयं द्वारा किया गया मूल्यांकन :

क्रसं	मुख्य पारिणामिक कार्य (Key result areas)	निर्धारित लक्ष्य (Targets)	वास्तविक उपलब्धियाँ (Actual achievements)	उपलब्धियों में कमी का कारण (यदि कोई हो तो) एवं विशेष योगदान
-------	---	-------------------------------	--	--

(प्रमुख विभागीय कार्यों के भोतिक लक्ष्य

- (i) राजस्व प्रकरणों का निस्तारण:- (a) बहुपक्षीय
 (b) एकपक्षीय
 (c) राजीनामा
 (d) स्थानान्तरण
 (e) अन्य
 कुल
- (ii)
- (iii)
- (iv)
2. प्रमुख विभागीय कार्यों के वित्तीय लक्ष्य
 (i)
 (ii)
 (iii)
 (iv)
3. निरीक्षण
4. मुख्यालय के अतिरिक्त क्षेत्र में रात्रि विश्राम

5 .अन्य

टिप्पणी :- यदि विभागीय लक्ष्य नहीं हो तो संक्षिप्त वर्णनात्मक विवरण दिया जाए।

7. प्रतिवेदित अधिकारी/कार्मिक द्वारा किए गए विशेष कार्यों का संक्षिप्त विवरण (150 शब्दों से अधिक न हो)

प्रतिवेदित के हस्ताक्षर एवं

**प्रतिवेदक अधिकारी को प्रस्तुत
किए जाने का दिनांक**

नाम व पदनाम

(प्रतिवेदित अधिकारी/कार्मिक द्वारा कोई उपाबन्ध संलग्न नहीं किया जाए)

भाग - II (प्रतिवेदक (REPORTING) अधिकारी के लिए)

1. प्रतिवेदक अधिकारी की अभ्युक्तियों [कृपया उपयुक्त खाने में लघु हस्ताक्षर करें, सही का निशान आदि नहीं]

क्र.सं.	मूल्यांकन का आधार	उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा	संतोषप्रद	असंतोषप्रद
1.	कार्य परिणाम (Output of work)					
2.	नेतृत्व गुण (Leadership qualities)					
3.	विश्लेषणात्मक योग्यता (Analytical ability)					
4.	प्रबंधन योग्यता (Management ability)					
5.	निर्णय लेने की योग्यता (Decision making ability)					
6.	पहल करने की योग्यता (Ability to take initiative)					

- 2[क] सामान्य मूल्यांकन:- अधिकारी के व्यक्तित्व, गुणों तथा दोषों, मानसिक गुणवत्ता, परिश्रम और निष्ठा आदि का मूल्यांकन व समीक्षाधीन अवधि के दौरान अधिकारी के कार्यों का समग्र मूल्यांकन।
- 2[ख] वर्ष के दौरान किये गये कार्यों के लिए लिखित सलाह/भर्त्सना [यदि कोई हो] का संक्षिप्त उल्लेख:
- 2[ग] क्या आप किसी अभ्युक्ति को प्रतिकूल मानते हैं? यदि हों तो उसके लिए संक्षिप्त, किन्तु ठोस कारण भी देवें।
3. क्या प्रतिवेदित अधिकारी अनुशूदित जाति/अनुशूदित जन जाति/निशकतों/समाज के कमज़ोर वर्गों के लोगों के प्रति रुपदनशील है? यदि नहीं तो कारण बतायें।
4. क्या आपकी जानकारी में ऐसी कोई बात आई है जो अधिकारी की सत्यनिष्ठा अथवा उसके द्वारा कर्तव्य का ईमानदारी से पालन करने की योग्यता पर प्रतिकूल प्रगाह डालती है? यदि हों तो उसके बारे में विवरण देवें। हों/नहीं
5. बिन्दु सं. 1 व 2 में दी गई टिप्पणी के आधार पर प्रतिवेदित अधिकारी का समग्र मूल्यांकन [कृपया उपयुक्त खाने में लघु हस्ताक्षर करें]

उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा	संतोषप्रद	असंतोषप्रद

टिप्पणी:- कृपया सुनिश्चित करें कि बिन्दु सं. 1 से 2 तक में की गई अभ्युक्तियों पर बिन्दु सं. 6 में किये गये समग्र मूल्यांकन में एक लप्ता हो। बिन्दु सं. 1 से 2 तक में कहीं पर भी प्रातेकूल अभ्युक्ति नहीं होने पर बिन्दु सं. 6 में तबनुसार ही समग्र मूल्यांकन किया जाए। यदि कहीं पर भी कोई प्रातिकूल अभ्युक्ति हो तो समग्र मूल्यांकन भी असंतोषप्रद ही किया जाए।

समीक्षक प्राधिकारी को प्रस्तुत किये जाने का दिनांक:

प्रतिवेदक अधिकारी के हस्ताक्षर
(नाम, पदनाम स्पष्ट अक्षरों में)

भाग- III समाचार आपूर्ति / जिला कलेक्टर के लिए

1. समाचार आपूर्ति / जिला कलेक्टर द्वारा दिए गई अधिकत की जाए [विषय समाचार स्तर एवं जिला स्तर के अधिकारियों के लिए]
यदि आप भाग-III में कोई अनुसिद्धियों से सहमत नहीं हों तो कृपया उसके लिए संशोधन किन्तु ठोस कारण दें।

समीक्षक प्राधिकारी को प्रेषित किये जाने का दिनांक:

समाचार आपूर्ति / जिला कलेक्टर के हस्ताक्षर
(भाग एवं पदनाम स्पष्ट असरों में)

भाग-IV (समीक्षक (REVIEWING) प्राधिकारी के लिए)

2. भाग-III द भाग-III में की गई अनुसिद्धियों के बारे में सामाचर दिए गए समाचार सूचीकरण करते हुए अनुसिद्धियों जंकित की जाए। यदि आप भाग-III/भाग-III में कोई अनुसिद्धियों से सहमत नहीं हों तो उसके लिए संशोधन किन्तु ठोस कारण दें।

समीक्षित अधिकारी का समाचार भूमार्ग (कृपया उपर्युक्त खाने में लघु हस्ताक्षर करें)

उक्तकाल	बहुत अच्छा	अच्छा	संतुष्टिप्रद	असंतुष्टिप्रद

दिएगी— कृपया अनुसिद्धि करें कि उपर्युक्त विवरणात्मक अनुसिद्धियों एवं समाचार सूचीकरण में एक गलता हो। विवरणात्मक अनुसिद्धियों में कहीं पर भी प्रतिकूल अनुसिद्धि दोनों पर ही समाचार सूचीकरण को असंतुष्टिप्रद किया जाए।

समीक्षक (REVIEWING) प्राधिकारी के हस्ताक्षर
(भाग एवं पदनाम स्पष्ट असरों में)

स्वीकारकारी प्राधिकारी को प्रस्तुत किये जाने का दिनांक:

भाग- V (स्वीकारकारी (ACCEPTING) प्राधिकारी के लिए)

3. स्वीकारकारी प्राधिकारी की अनुसिद्धियों। यदि आप भाग-III, भाग-III, भाग-IV में कोई अनुसिद्धियों से सहमत नहीं हों तो उसके लिए संशोधन किन्तु ठोस कारण दें।

स्वीकारकारी (ACCEPTING) प्राधिकारी के हस्ताक्षर
(भाग एवं पदनाम स्पष्ट असरों में)

संक्षिप्त

वार्षिक कार्यमूल्यांकन प्रतिवेदन पपत्र— I, II तथा III का परिशोषण (पपत्र का पु.4)

वर्ष

(1 जनवरी

को) के लिये प्रथम नियुक्ति के समय की स्थावर सम्पत्ति सहित स्थावर सम्पत्ति का विवरण

पद

जिससे वह संबंधित है :

1. अधिकारी / कार्मिक का पूरा नाम तथा

वर्तमान वेतन :

2. वर्तमान में धारित पद :

3. किस सेवा संवर्ग से है :

उस जिले, उप खण्ड, आवासीय तथा अन्य भूमि भवन नाम जिसमें सम्पत्ति स्थित है

सम्पत्तियों का नाम तथा विवरण वर्तमान मूल्य यदि स्वयं की नहीं है, तो बताएं कि यह किसके नाम में धारित है तथा उस संबंध में धारित की गई हो तो अर्जन की

वर्तमान वेतन भूमि भवन या बंधक, उत्तराधिकार, दान या अन्यथा रूप में अर्जित की गई हो तो अर्जन की

सदस्य के साथ आपका क्या तारीख तथा नाम, साथ ही उस व्यक्ति/व्यक्तियों का विवरण जिससे अर्जित की है।

हस्ताक्षर
दिनांक